पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 29/2020

1. कृष्ण कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. हरिसिंह पुत्र मेहरचंद जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।
2. सरोज बाला पुत्री हरिसिंह पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी पटवा हाल निवासी फेफाना त0 नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजबाला पुत्री हरिसिंह पत्नी संदीप जाति जाट निवासी पटवा हाल निवासी फेफाना त0 नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिंहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 118/123 के मु0 न0 65 के किला न0 2 ता 9 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 12 की 0.126है0, किला न0 13 की 0.164है0, किला न0 14 की 0.228है0, किला न0 15 की 0.253है0 कुल 2.795है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा व चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 114/97 के मु0 न0 71 के किला न0 3, 4, 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 प्रत्येक की 0.253है0, मु0 न0 78 के किला न0 3 ता 5 प्रत्येक की 0.253है0 कुल 4.30है0 जिसमें 4.2750है0 व रास्ता 0.026है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी कृष्ण कुमार को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:18 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक (फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 29/2020

1. कृष्ण कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. हरिसिंह पुत्र मेहरचंद जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।
2. सरोज बाला पुत्री हरिसिंह पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी पटवा हाल निवासी फेफाना त0 नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजबाला पुत्री हरिसिंह पत्नी संदीप जाति जाट निवासी पटवा हाल निवासी फेफाना त0 नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग **: वादी**
वकील श्री रोहताश शर्मा शर्मा **: प्रतिवादीगण**

दिनांक : 25-01-2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 118/123 के मु0 न0 65 के किला न0 2 ता 9 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 12 की 0.126है0, किला न0 13 की 0.164है0, किला न0 14 की 0.228है0, किला न0 15 की 0.253है0 कुल 2.795है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा व चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 114/97 के मु0 न0 71 के किला न0 3, 4, 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 प्रत्येक की 0.253है0, मु0 न0 78 के किला न0 3 ता 5 प्रत्येक की 0.253है0 कुल 4.30है0 जिसमें 4.2750है0 व रास्ता 0.026है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता मेहरचंद की खातेदारी हुआ करती थी। मेहरचंद से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा क[illegible] बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की [illegible] रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि [illegible] रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ [illegible] लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 4स्टेट की ओर से

Scanned with CamScanner

... पेश किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु कृष्ण कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट. निवासी पटवा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम 14जेजीडब्ल्यू संवत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मोजा 15 जेजीडब्ल्यू प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श 3 व वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रामगढिया प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम 14 जेजीडब्ल्यू के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में हरिसिंह के एक पुत्र कृष्ण कुमार व दो पुत्री सरोज वाला व राजबाला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही वताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 118/123 के मु0 न0 65 के किला न0 2 ता 9 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 12 की 0.126है0, किला न0 13 की 0.164है0, किला न0 14 की 0.228है0, किला न0 15 की 0.253है0 कुल 2.795है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा व चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 114/97 के मु0 न0 71 के किला न0 3, 4, 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 प्रत्येक की 0.253है0, मु0 न0 78 के किला न0 3 ता 5 प्रत्येक की 0.253है0 कुल 4.30है0 जिसमें 4.2750है0 व रास्ता 0.026है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 118/123 के मु0 न0 65 के किला न0 2 ता 9 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 12 की 0.126है0, किला न0 13 की 0.164है0 [illegible] किला न0 15 की 0.253है0 कुल 2.795है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी [illegible] हरिसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा व चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता [illegible] के किला न0 3, 4, 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 प्रत्येक की 0.253है0, [illegible] 78 के किला न0 3 ता 5 प्रत्येक की 0.253है0 कुल 4.30है0 जिसमें 4.2750है0 व रास्ता 0.026है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

.. अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरोक्तानुसार वादी कृष्ण कुमार को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-01-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(सत्यनारायण)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner